न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/60/2021	05-10-2021	06/06/2022

1. छाजूराम पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवारी ग्राम हररोरा तहसील बानसूर जिला अलवर (राज0)

–अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र कन्हैयालाल जाति माली
2. बहादुर पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवारी ग्राम हररोरा बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर

–रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बानसूर निर्णय दिनांक 22.05.2018 नामान्तकरण संख्या 599 ग्राम हरसोरा तहसील बानसूर।

उपस्थित:–

[redacted] 01. श्री दाताराम गुप्ता –वकील अपीलान्ट

02. श्री राजेश कुमार गुप्ता –वकील रैस्पोडेन्ट्स

प्रमाणित फोटो प्रति

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.05.2018 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 599 वाके ग्राम हरसोरा तहसील बानसूर स्वीकार किया गया है, के विरूद्व व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि मिन अपीलान्ट ने कन्हैयालाल (जिनका वाद के विचारण के दौरान [redacted] स्वर्गवास हो गया) जिनके वारिस मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 है, के खिलाफ एक दावा बाबत तकसीम फरमाये जाने आराजी खसरा न0 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, व 740 कुल किता 8 रकबा 1.93 है0 वाके ग्राम हरसोरा तहसील बानसूर के तकसीम किये जाने हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत वाद में न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर द्वारा दिनाक 17.05.2018 को डिक्री किये जाने का आदेश पारित किया पारित डिक्री के विरूद्व मिन अपीलान्ट ने अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहा अपील पेश की गयी, जिसके साथ प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश भी प्रस्तुत किया गया था। जिस पर न्यायालय ने विवादित आराजी की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति रखने के आदेश पारित किये गये। जो आज दिनांक तक प्रभावी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय/डिक्री की पालना में तहसीलदार बानसूर ने पिछली तारीखात में दिनाक 22.05.2018 को नामान्तकरण संख्या 599 मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में दर्ज व स्वीकार कर दिया। तहत अदालत द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व मौके व कब्जे की कोई जॉच नहीं की गयी, जिसकी प्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनाक 12.07.2018 को हुआ, जिस पर नकल प्राप्त की और कानूनी सलाह प्राप्त की जाकर बिना देरी के अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश गयी है। सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 12.07.2018 से लेकर अपील किये जाने के मध्य की अवधि को कन्डोन किया जावे। अत अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 22.05.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर द्वारा पारित डिक्री की पालना में वाके ग्राम हरसोरा तहसील बानसूर का नामान्तकरण संख्या 599 निर्णय दिनाक 22.05.2018 विधिवत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकील उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.05.2018 के विरूद्व दिनांक 06.08.2018 को पेश की गयी है, जो करीब 2 माह के पश्चात पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है। फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। चूंकि प्रकरण में तहसीलदार बानसूर द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 17.05.2018 की पालना में आदेश दिनांक 22.05.2018 पारित किया गया है। जिसकी अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2018 को निरस्त करते हुए, प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः तहसीलदार बानसूर के निर्णय दिनांक 22.05.2018 का कोई औचित्य न्यायालय की राय में शेष नहीं रहा है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं अपील अधिकार, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2019 के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण संख्या 599 वाके ग्राम हरसोरा तहसील बानसूर दिनांक 22.05.2018 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बानसूर को तहत रिकॉर्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 06–06–2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06-06-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR ... ALWAR

प्रमाणित फोटो प्रति

रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज.)